भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1009
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

श्रम बल प्रतिभागिता में लैंगिक अंतर

1009. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री भोला सिहः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में श्रम बल की प्रतिभागिता में लैंगिक अंतर है और यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कार्यबल में लिंग आधारित आय असमानता भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कोविड महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण लाखों महिलाओं की नौकरी चली गई है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या सरकार कार्यबल में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में कर्नाटक सहित 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

(ख): सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

(ग) से (ड.): पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, महिलाओं हेतु एलएफपीआर वर्ष 2018-19 में 24.5% से बढ़कर 2019-20 में 30.0% हो गई है तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.1% से घटकर 2019-20 में 4.2% हो गई है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत, नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 12 जुलाई, 2021 को 84,390 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 5.88 लाख महिला लाभार्थी सहित 22 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुए लगभग कुल 993 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत सरकार सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए **3** वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% **(**समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की समापन तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों तक लगातार लाभ प्राप्त होता रहेगा। पीएमआरपीवाई के तहत, 14.06.2021 को 1.21 करोड़ लाभार्थियों, जिसमें 26.05 लाख महिला लाभार्थी भी शामिल हैं, को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया है।

सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदूरी को प्रतिदिन 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है। एमजीएनआरईजीएस के तहत कुल सृजित रोजगार (मानव दिवसों में) से, महिलाओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019-20 में लगभग 145.35 करोड़ मानव दिवसों से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 207 करोड़ मानव दिवस हो गई है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

श्रम बल प्रतिभागिता में लैंगिक अंतर के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 26-07-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1009 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) आयु समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण + शहरी (2019-20)		
		पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	78.1	39.2	58.2
2	अरुणाचल प्रदेश	68.8	22.9	47.5
3	असम	77.0	16.4	46.9
4	बिहार	73.0	9.5	41.8
5	छत्तीसगढ	82.3	53.1	67.6
6	दिल्ली	73.5	16.1	47.3
7	गोवा	75.7	28.2	51.5
8	गुजरात	79.4	31.1	55.9
9	हरियाणा	73.7	15.7	45.8
10	हिमाचल प्रदेश	82.0	65.0	73.2
11	झारखंड	76.9	35.7	55.9
12	कर्नाटक	77.4	33.8	55.5
13	केरल	71.7	31.9	50.3
14	मध्य प्रदेश	80.0	37.7	59.4
15	महाराष्ट्र	75.6	38.7	57.5
16	मणिपुर	70.9	29.9	50.3
17	मेघालय	75.3	45.7	60.2
18	मिजोरम	69.8	37.0	53.8
19	नागालैंड	76.0	43.0	60.3
20	उड़ीसा	78.3	33.1	55.3
21	पंजाब	77.2	23.7	51.6
22	राजस्थान	76.2	38.6	57.6
23	सिक्किम	79.8	59.4	70.4
24	तमिलनाडु	77.9	40.2	58.4
25	तेलंगाना	75.7	44.3	59.9
26	त्रिपुरा	78.1	24.2	51.2
27	उत्तराखंड	74.6	31.8	53.4
28	उत्तर प्रदेश	76.0	17.7	47.1
29	पश्चिम बंगाल	80.0	24.0	52.1
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	75.9	35.9	57.0
31	चंडीगढ़	77.3	20.4	48.5
32	दादरा और नगर हवेली	89.5	52.3	74.4
33	दमन और दीव	87.9	35.8	66.4
34	जम्मू और कश्मीर	74.3	37.4	56.3
35	लद्दाख	72.8	51.1	62.8
36	लक्षद्वीप	81.2	29.7	55.6
37	पुदुचेरी	71.6	31.6	51.7
	अखिल भारतीय	76.8	30.0	53.5

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2019-20 सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।